न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद पत्र संख्या :– 54 / 1997

1– भवानीसिंह पुत्र सज्जन सिंह जी राजपूत निवासी धामंचा मृतक
1/1– देबीसिंह पुत्र भवानीसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
1/2– उदयसिंह पुत्र भवानीसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
1/3– जोरावरसिंह उर्फ छोटूसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत नि0धामंचा तह0बेगॅ
पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 नियत है।
2– कालू पुत्र ताराचन्द्र जी धाकड निवासी धामंचा मृतक
2/1–जमनीबाई बेवा कालू जी धाकड निवासी धामंचा तह0 बेगूँ (आदेश दि.6.3.24 से नाम हटाया)
2/2– रतनलाल पुत्र कालू जी धाकड निवासी धामंचा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ
2– राजसिंह पुत्र गोपाल सिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ मृतक
(पहले एकतरफा कार्यवाही)
2/1– मिठुसिंह पुत्र राजसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
2/2– नन्दकंवर बेवा राजसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
2/3– प्रेमकंवर पुत्री राजसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
2/4– मोहनकंवर पुत्री राजसिंह राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
2/5– फेफाकंवर पुत्री राजसिंह राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
3– जोरावरसिंह पुत्र भवानीसिंह जीराजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 30.12.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा धामंचा तहसील बेगूँ में नवीन आराजी नं. 475 रकबा 16 बीघा इसके पुराने आराजी नम्बर 558/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा थे। यह भूमि श्रीमती प्यारबाई बेवा रूप सिंह राजपूत निवासी धामंचा के नाम थी जिसे वादी सं. 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.05.1970 के क्रय की थी। इस विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम नामान्तरण भी खुल गया एवं विक्रयपत्र में वर्णित अन्य आराजीयात की प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में हो गई किन्तु पुरानी आराजी नम्बर 559/2 व नवीन आराजी नं0 475 की प्रविष्टी राजस्व कर्मचारियों की गलती में नहीं हुई और चूंकि उस समय भूप्रबन्ध की प्रक्रिया चल रही थी इसलिए भूप्रबन्ध अधिकारी कर्मचारियो ने इस नवीन आराजी नम्बर 475 को बिलाना दर्ज कर दी।

यह कि उक्त पुरानी आराजी नं0 558/2 एवं इसके नवीन आराजी नम्बर 475 रकबा 16 बीघा पर वादी सं. 1 का क्रय दिंनाक 21.05.70 से ही कब्जा चला आ रहा है। किन्तु भू–प्रबन्ध वालो द्वारा इसको बिलानाम दर्ज कर दी गई जिससे इसमें में 6 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 3 जोरावरसिंह एवं 4 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अपने नाम जबरन आवंटन करा ली जबकि कब्जा आज भी वादी सं. 1 का ही चला आ रहा है। इस प्रकार वर्तमतान आराजी नं. 475 रकबा 16 बीघा भूमि मे से प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने जो आवंटन करा लिया वह मेरे विरूद्ध शुन्य होकर प्रभावहीन है। आज भी सम्पूर्ण रकबे पर वादी सं. 1 का ही कब्जा है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

सं. 1 का ही विक्रय पत्र दिनांक 21.05.70 से स्वामित्व प्राप्त है। इसलिए वादी सं. 1 एक आराजी नम्बर 475 रकबा 16 बीघा अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। चूँकि शेष 6 बीघा आज भी बिलानाम दर्ज है इसलिए प्रवितादी सं. 1 तहसीलदार साहब बेगूँ को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है।

यह कि उक्त आराजी नम्बर 475 के पश्चिम में एवं वादी सं. 2 की आराजी के उत्तर में प्रतिवादी सं. 4,5,6 व 7 की आराजी नं0 507 स्थित है। इन चारो ही प्रतिवादीगण ने तहसीलदार बेगूँ यहाँ चुपके से एक प्रार्थना पत्र धारा 251 राज.टी.एक्ट का लगा यह निर्णय प्राप्त कर लिया कि प्रतिवादीगण सं. 4,5,6 व 7 के लिए उक्त आराजी नं0 475 रकबा 16 बीघा में वादी सं. 2 की आराजी की पूर्वी मेड पर होकर रास्ता खोल दिया जावें। जबकि मौके पर न तो कभी प्रतिवादीगण 4 से 7 तक निकले एवं न निकलते है तथा व मौके पर कोई रास्ता है।फिर भी प्रतिवादी सं. 1 ने इस आशय का आदेश दे दिया जिसमें वादी सं. 1 को पक्षकार भी नहीं बनाया गया एवं न सुना यगा, यही नही प्रतिवादीगण ने नक्शाट्रेस में अवैध रूप से तरमीम आदशे दिनांक 19.07.1997 गैर कानूनी होरक बिना वादीगण को सुने बिना दिया गया जो वादीगण के विरूद्ध शुन्य निर्णय दिंनाक 8.07.97 व 19.07.97 की आड में प्रतिवादीगण 4,5,6 व 7 ने दिनांक 27.07.97 को यह धमकी दी कि हम जबरन इस आराज ीसं. 475 के बीचो बीच व वादी सं. 2 को आराजी नं. 1042/476, एवं 476/3 के पूर्वी मेड पर होकर रास्ता बनायेगें। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र प्रतिवादीसं. 4,5,6 व 7 के विरूद्ध आराजी नं. 475, 1042/476 व 476/3 जो कि वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में है में किसी प्रकार की दखलंदाजी व हस्तक्षेप एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा के लिए भी प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादी सं0 4 से 7 तक को उनकी आराजी नं0 507 पर पहूँचने के लिए अन्यत्र उनकी आराजी के पश्चिमी ओर आराजी नं. 511/955 से रास्ता सुलभ है फिर भी प्रतिवादी सं. 4 से 7 तक जानबूझ कर एवं वादीगण को परेशान करने एवं खडी फसल को नष्ट कर आराजी नं0 475 के बीचो बीच व वादी सं. 2 की आराजी के पूर्वी मेड पर तहसीलदार सा. प्रतिवादी सं. 1 के अवैध आदेश के तहत जबरन रास्ता निकालना चाहते है जिसका कि प्रतिवादी सं. 4,5,6 व 7 को कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी सं. 4 से 7 तक को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी नं0 475, 1042/476 एवं 476/3 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं बाधा उत्पनन नही करें एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने आदेश दिनांक 08.07.97 की पालना नहीं करावें।

यहकि यदि प्रतिवादीगण सं. 1,4,5,6 एवं 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा नही फरमाई गई तो वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अनावश्यक मुकद्में बाजी बढ जावेगी एवं इस कारण वादीण्गा का अपार हानि होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। प्रतिवादी सं. 1 लोक सेवक है जिन्हे आराजी नं. 475 का रकबा 6 बीघा भूमि बिलानाम दर्ज होने में प्रतिवादी बनाया गया है एवं जिनके लिए धारा 80 व्य.प्र.सं. का सूचना पत्र दिया जाकर ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) व्य.प्र. सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान की अनुमति पर प्रस्तुत किया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी सं. 4,5,6 व 7 द्वारा दिनांक 27.07.97 को वादीगण को वादीगण की आराजी नं. 475 के बीचो बीच व आराजी नं. 1042/476 व 476/3 की पूर्वी मेड पर जबरन रास्ता निकालने की धमकी देने एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 8.07.97 को बिना वादी सं. 1 को सुने ही उक्त आराजयीात से रास्ता निकलाने का आदेश देने से तथा आराजी नं. 475 में प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम आवंटन की जानकारी 8.7.97 को एवं शेष रकबा बिलानाम सरकार दर्ज होने की दिनांक 6.05.97 को जानकारी होने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते हैः-

(क) कि पक्ष वादी सं. 1 एवं विरूद्ध प्रतिवादीसं. 1,2 व 3 इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमाई जावे कि मौजा धामंचा प.ह. धामंचा तह. बेगूं की आराजी नं. 475 रकबा 16 बीघा के नाम प्रतिवादी सं. 1 2 व 3 के नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाकर वादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज किया जावें।

(ख) कि पक्ष वादीगण एवं विरूद्ध प्रति सं. 1,2,34 व 7 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति फरमाई जावे कि मौजा धामंचा की वादी सं. 1 की आराजी नं. 475 रकबा 16 बीघा एवं वादी सं. 2 की आराजी नं. 1042/476 व 476/3 पर प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादीसं. 4,5,6 व 7 के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कायम नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार से वादीगण की उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न स्वयं या किसी अन्य से करावें।

(ग) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को दिलाया जावें।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण को सुलभ हो दिलाया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादीसं0 4,5,6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अजमेरी ने अपना अधिकार प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 1 भूमिधारी तहसीलदार बेगूं उपस्थित आए। पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 2 राजसिंह के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार बेगूं की ओर से वादपत्र का जवाब दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजी नम्बर 475 रकबा 16 बीघा व इसके पुराने आराजी नं0 558/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि धामंचा ग्राम में स्थित होना स्वीकार हैं। शेष कथन वादी का अस्वीकार है। वादी का इस भूमि मे हक नहीं हैक्यो कि आराजी नं0 558/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा विक्रेता संप्यारबाई बेवा रूपसिंह राजपूत की खातेदारी की नहीं थे विक्रय का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। जमीन वर्तमान में बिलानाम सरकार है। राज्य सरकार की सम्पत्ति होकर भूमिधारी के आधिपत्य में है। भू प्रबन्ध के समय कोई गलती नहीं हुई है। सरकारी रेकार्ड सही है।

यह कि वाद की चरण सं0 2 गलत है। बादी का इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। आराजी नं0 475 में राजसिंह पिता गोपालसिह जोरावरसिंह /उदयसिंह व देवीसिंह को भूमि का आवंटन किया गया था।जिसमें से उदय सिंह व देवीसिंह का आवंटन निरस्त किया गया है। भवानीसिंह का कभी भी इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। विकय पत्र मु0 सुप्यारबाई ने गलत लिखा है। खातेदार उसके खाते की जमीन को ही बेच सकता है जो जमीन खाते में नहीं हो उसे विकय करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकित आराजी नं0 507 स्थित होना स्वीकार है, धारा 251 राज0 टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र चुपके से नहीं लगा है, खुले न्यायालय में सुनवाई होकर निर्णित है तथा पीडित पक्षकार ने अपील भी की है जो खारिज हुई है। रास्ता आदेशानुसार खुलाया गया है, किसी तरह का गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया है। यह कि प्रतिवादी सं0 4 से 7 की आराजी नं0 507 पर पहुँचने का कोई अन्य रास्ता नहीं है तथा धारा 251 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत उचित रूप से सुनवाई कर पुराने रास्ते को सुचारुरूप से चालू कराया गया है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 5 गलत है। राज्य सरकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार है, प्रतिवादी सं0 1 लोक सेवक है, वादपत्र ...वत सूचना पत्र दिये वगैर प्रस्तुत किया है वादपत्र आवश्यक प्रकृति का नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है जो कानूनन गलत है तथा वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि चरण संख्या 7 गलत है, जबरन रास्ता कायम नहीं कराया गया है, रास्ते का आदेश खुले न्यायालय मे दिया गया है। वादी सं0 1 का कोई हक नहीं होने से एवं आराजी नं0 475 का आवंटन उदयसिंह जोरावरसिंह व देवीसिंह का होने से उन्हें पक्षकार माना जाकर सूना गया तथा इसकी ओर से भी कोई आपत्ति पक्षकार बाबत पेश नहीं हुई है। वादपत्र की चरण संख्या 8, 9 , 10 कानूनी है जो न्चयायालय श्रीमान स्वयं निर्णित फरमावें।

अतः निवेदन है कि वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावें। अन्य वजूहात वक्त बहस प्रस्तुत किये जावेगें।

प्रतिवादी संख्या 3 जोरावर सिंह की ओर से इस वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि वादपत्र की कलम सं0 1, 2,3 व 4 सही होने से स्वीकार है। यह कि कलम संख्या 5 का जवाब यह है कि मुझ प्रतिवादी सं0 3 को छोडकर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के मध्य मुकदमे बाजी बढ जावेगी एवं इस कारण वादी को अपूर्तनीय हानि होगी। यह कि कलम संख्या 6, 7, 8, 9 व 10 के जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 11 में चाही गई डिकी प्रदान कर दी जावे किन्तु मुझ प्रतिवादी सं0 3 के विरूद्ध कोई खर्चे की डिकी प्रदान नहीं की जावें।

जवाब के विशेष कथन में अंकित किया गया है कि आराजी सं0 475 चूंकि राजस्व कर्मचारियों एवं भूप्रबन्ध वालो की गलती से बिलानाम दर्ज हो गई थी इसलिए सक्षम न्यायालय में वादी द्वारा घोषणा का दावा नहीं कर अपने लडके के नाम आवंटन करा लिया था। इनमे से दो के नाम का आवंटन निरस्त हो गया एवं मेरा आवंटन वर्तमान है, किन्तु मेरे नाम की आवंटित भूमि को वादी के नाम कर देने मे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तविकता में वर्तमापन आराजी सं0 475 रकबा 16 बीघा भूमि पर वादी का ही कब्जा होकर उनके ही स्वामित्व की है।

इस वादपत्र का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 व 7 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत किया गया था जो कि अधिवक्ता श्री अजमेरी द्वारा प्रस्तुत किया था किन्तु इन्हीं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत करते हुए पूर्व के जवाबदावा को संशोधन कराने की स्वीकृति इस न्यायालय से प्राप्त करते हुए संशोधित जवाबदावा इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र की चरण संख्या एक का जवाब इस प्रकार है कि आराजी नं0 475 मौजा धामंचा रेवेन्यु रेकार्ड में अलग अलग दर्शाया है, 475मी. अलग है, 475/2, 475/3 आदि अलग है । वादी ने 558/2 जो गुजिश्ता नम्बर बताये है।

आराजी नम्बर 558/2 जो सेटलमेन्ट के पूर्व के नम्बर है तथा रकबा 12बीघा 2 बिस्वा भूमि है यह सेटलमेन्ट से पूर्व में मु0 भूरबाई दासी गोपालसिंह कौन राजपूत निवासी धामंचा की खातेदारी की आराजी थी एवं तथा कथित विकय पत्र दिनांक 21.05.1970 को यह आराजी सप्यारबाई पत्नी रूपसिंह के खाते मे नहीं थी इसलिए सप्यारबाई पत्नी रूपसिंह द्वारा दिनांक 21.05.70 को आराजी नं0 558/2 रकबा 12बीघा 2 बिस्वा भूमि भवानीसिंह को विकय की है वह गलत हैं। एवं सप्यारबाई को यह भूमि भवानीसिंह को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं था। मु0 भूरबाई का पुत्र राजसिंह प्रतवादी सं0 2 जीवित है एवं वह भूमि राजसिंह के हक व स्वामित्व की है। इसलिए आराजी नं0 558/2 का नामान्तरण भवानीसिंह के नाम पर गलत खोला गया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...स होने योग्य है वादी भवानीसिंह ने भू प्रबन्ध कार्यवाही में गलत फायदा उठाकर नामान्तरण ...क करा लिया है जो खारीज होना चाहिए।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 असत्य होने से अस्वीकार है। भूमि बिलानाम होने से ही प्रतिवादी सं0 3–2 ने अलोटमेन्ट कराई जिसे हम प्रतिवादीगण व गांव वासियान धामंचा ने अपील कर खारीज करवाई कब्जा वादी का इस भूमि पर कभी नहीं रहा है ना ही अपने खाते कराने का अधिकारी है। वादीगण ने 5 बिलानाम भूमि पर भी तहसीलदार साहब भूमिधारी के विरूद्ध अनुतोष चाहा है लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकार को या भूमिधारी जी को विधिवत सूचनापत्र नहीं दिया है इसलिए यह वादपत्र चलने योग्य नहीं है एवं जोरावरसिंह वादी का ही पुत्र है एवं पिता पुत्र ने दुरभिसंधी के आधार पर दावा पेश किया है इसलिए वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि वादपत्र की चरण सं0 3 का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं0 4 व 5 व 6, 7 ने नियमानुसार कार्यवाही करके नक्शामौका ग्राम निवासीयान की मौजूदगी में बना हमारेक कुए आराजी सं0 507 तक जाने का रास्ता गाडी गडार का तहसीदार साहब बेगूं एंव एस डी ओ साहब बेगूं के आदेश कमांक 1006–1007 दिनांक 19.7.97को रेवेन्यु रेकार्ड में भी अंकित किया गया है जिसकी वादीगण ने अपर जिला कलक्टर प्रथम चितौडगढ के यहॉ अपील सं0 27/97 प्रस्तुत की किन्तु वहॉ से श्री देवीसिंह उदयसिंह जोखमसिंह पुत्र भवानी सिंह राजपूत निवासी धामंचा व कालू धाकड निवासी धामंचा की खारीज हुई है। प्रतिवादीगण ने जबरन कोई रास्ता नहीं निकाल है व न ही किसी प्रकार की धमकी दी है जब रास्ता रेवेन्यु रेकार्ड में ही अंकित हो गया है तो हस्तक्षेप दखलंदाजी, बाधाउत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ना ही हम प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता सकता है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार नहीं है। हम प्रतिविदीगण ने कुए पर व खेत तक जाने का रास्ता सिवाय इस रास्ते जो तहसीलदार साहब व एस.डी.ओ. साहब बेगूं ने नियमुनसार निकाला है अन्यत्र भूमि से होकर नहीं जाता है। जबरन रास्ता निकालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है हम प्रतिवादीगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं यिा जा सकता है एवं किसी भी लोक सेवक एवं न्यायालय को अपने आदेश की पालना कराने से कानूनन नहीं रोका जा सकता है।

यह कि वादपत्र की चरण सं0 5 असत्य होने से अस्वीकार है। आवश्यक मुकद्मेबाजी होने व वादीगण को अपार हानि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादपत्र की चरण सं0 6 का सम्बन्ध प्रतिवादीगण से नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 का जवाब इस प्रकार से है कि दिनांक 27.07.97 को कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं हेाता है। रास्ता पूर्णतया कायम हो रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित हो चुका है। चरण संख्या 8 व 9 के जवाब की आवश्यकता नहीं है कानूनी है। वादपत्र की चरण संख्या 10 स्वीकार नहीं है। तथा वादपत्र की चरण संख्या 11 के अनुसार वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा खारीज होने योग्य है। अतः खारीज फरमाया जावें।

जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि न्यायालय तहसीलदार साहब बेगूं एवं एस0डी0ओ0 साहब बेगूं जिसके द्वारा रास्ता कायम हो रेवेन्यु रेकार्ड में भी तरमीम हो चुका है एवं अपील में भी वादीगण के विरूद्ध अपर कलक्टर सा0 चितौडगढ के यहॉ से भी निर्णय हो चुका है जिसकी अपील वादी ने कही भी नहीं की है। यह वाद चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी भवानीसिंह के ही रिश्तेदार है जिनको अलोटमेन्ट खारीज हो चुका है। ऐसी सूरत में वादी उनके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल वादी को लाभ अर्जित कराने के लिए ही इन्हें प्रतिवादीगण बनाया गया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि हम प्रतिवादीगण की भूमि व कुआ बहुत पुराना है तथा हम प्रतिवादीगण की आराजी नं० 507 पर जाने कारास्ता इस तरमीम शुदा रास्ते के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं है, हमारा रास्ता पुराना एवं कदीमी है। आराजी नं० 558/2 जिसके नवीन नम्बर 475 है वादी भवानीसिंह की आराजी नहीं है वर्तमान मे यह बिलानाम भूमि है जिस पर निकलने से प्रतिवादीगण को रोकने का अधिकार वादीगण को नहीं हैं।

यह कि वादीगण को यह वादपत्र इस न्यायालय मे पेश करने का अधिकार नहीं है। रास्ता सम्बन्धी विवाद सुनने का अधिकार रेवेन्यु न्यायालय में विचारण के योग्य नहीं है। वादी ने गलत न्यायालय मे वादपत्र पेश किया है जो आदेश 7 नियम 11 के तहत खारीज किए जाने योग्य है।

यह कि आराजी नं0 507 रकबा 32 बीघा एक बिस्वा भूमि संवत 2031 से 2034 के जमाबंदी के खाता संख्या 34 में प्रतिवादीगण के पिता तथा टोडू, रूपा एवं मु0 सप्पारबाई के सह स्वामित्व में थी उस वक्त भी मु0 सप्पारबाई एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज इसी रास्ते से अपनी आराजी पर आते जाते एवं सप्पारबाई से आराजी सं0 507 का अपना हिस्सा वादी भवानीसिंह को विक्रय किया। भवानीसिंह भी आराजी नं0 507 पर इसी रास्ते से आते जाते रहे है बाद में भवानीसिंह ने आराजी नं0 507 पर का अपना हिस्सा भूरसिंह पिता रामसिंह गफूर खा पिता अलानूर, अब्दुलरज्जाक पिता सुब्हान खां, मुबारिक खां पिता कजोड खां रामसिंह पिता जवाहरसिंह निवासी खलदा को विक्रय कर दिया तथा उक्त सभी क्रेतागण से आराजी नं0 507 का आधा हिस्सा प्रतिवादी सोला, पेमा, मोहन पिता खेमा धाकड निवासी धामंचा ने क्रय किया है। इसलिए मूल रूप से यह आधार हिस्सा सप्पार बाई की संपति रहा है एवं सप्पारबाई अपनी संपति पर इसी रास्ते से आती जाती रही है इसलिए प्रतिवादीगण को इसी रास्ते से आने जाने से रोकने का अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान आप से प्रार्थना है कि वादपत्र वादीगण मय हर्जे खर्चे के वकील मेहनताना के खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से पत्रावली में कायम किया गया जो निम्न प्रकार से है:—

1— आया कि मौजा धामंचा तह0 बेगॅू की नवीन आराजी नं0 475 रकबा 16 बीघा भूमि के पुराने आराजी नं0 558/2 होकर रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जिसके तत्कालीन खातेदार श्रीमती सप्पारबाई से पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 21.05.1970 से वादी सं0 1 ने अन्य कृषि आराजीयात के साथ क्रय की थी एवं जिससे वादी सं0 1 के पक्ष में नामान्तरण भी खुल गया एवं विक्रय पत्र में वर्णित अन्य आराजीयात की प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में हो गई किन्तु आराजी नं0 558/2 पुरानी नवीन आराजी नं0 475 में प्रविष्टि नहीं हुई इसलिए भूप्रबन्ध के समय कर्मचारियों ने बिलाना दर्ज कर दी ?

जिम्मे वादी

2— आया कि पुरानी आराजी नं0 558/2 जिसके नवीन आराजी नं0 475 रकबा 16 बीघा भूमि पर आज भी क्रय दिनांक से वादी सं0 1 का कब्जा होकर उपयोग उपभोग में आ रही हैं।

जिम्मे वादी

3— आया कि प्रतिवादीगण को वादी सं0 1 की आराजी नं0 475 व वादी सं0 2 की आराजी नं0 1042/476 व 476/3 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है?

जिम्मे वादी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगॅू (चित्तौडगढ़)

...या कि वादी ने राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया इसलिए वाद चलने ...य नही है?

जिम्मे प्रति.1

5– आया कि पुराना आराजी नं0 558/2 भूमि मु0 सप्यारबाई के स्वामित्व की नहीं होकर मु0 भूरबाई दासी श्री गोपालसिंह के स्वामित्व की होने से मु. सप्यारबाई को वादी के पक्ष में विक्रय करने का अधिकार नहीं था?

जिम्मे प्रति.1,4,5,67

6– वादीगण द्वारा धारा 80 व्य.प्र.सं. का प्रतिवादी सं0 1 को नोटिस नहीं देने से वाद खारिज होने योग्य है?

जिम्मे प्रति.1, 4, 5, 6,7

7– आयाकि वादी एवं प्रतवादी सं0 2, 3 ने दूरभिसंधि कर वाद प्रस्तुत किया है?

जिम्मे प्रति. 4,5,6,7

8– आया कि नक्शाट्रेस में रास्ता दर्ज हो जाने से वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 4,5,6,7 को रोकने का कोई अधिकार नहीं है?

जिम्मे प्रति.4,5,6,7

9– आया कि वादपत्र राजस्व न्यायालय में विचारण का नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.संहिता में खारिज होने योग्य है?

जिम्मेप्रति.4,5,67

10– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किए जाने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य वादी में उदयसिंह पिता स्व0 भवानीसिंह राजपूत व गवाह नन्दलाल धाकड पिता प्यारालाल जी धाकड के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये मुख्य परीक्षण में वादी उदयसिंह द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता को समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद वादी से जिरह नहीं किए जाने से जिलर निल रही एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। गवाह नन्दलाल के बयान भी कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी की पूर्ण की गई। पत्रावली मु साक्ष्य वादी की पूर्ण हुई। पत्रावली की आदेशिका का गहन अवलोकन किये जाने पर पाया कि प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6 व 7 को उनके अधिवक्ता द्वारा टेलीफोन से सूचना दिये जाने के बावजूद भी वे उपस्थित नहीं होने एवं अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा प्रकरण प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6 व 7 की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया है। इस कारण इस पत्रावली मे प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6, 7 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार इस दावा पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने व प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के पश्चात इस पत्रावली में मौका रिपोर्ट तलब की गई।

पत्रावली में मौका रिपोर्ट तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्र क्रमांक 4198 दिनांक 05.09.2024 के साथ पर्चामौका पत्र के साथ इस दावा पत्रावली में भिजवाई गई है। मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि मौजा धामंचा पटवार हल्का धामंचा की आराजी संख्या 475 रकबा 16 बीघा एवं आराजी सं0 1042/476 व 476/3 भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति मय राजस्व रेकार्ड के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश होने से उक्त आराजीयात की जॉच भू.अ.नि. चेची से करवाई गई, मौके की स्थिति व राजस्व रेकार्ड की स्थिति निम्नानुसार है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि ग्राम धामंचा के आराजी नं. 1042/476 रकबा 0.162 हैक्टर एवं 476/3 रकबा 0. हैक्टर कीता– 2 रकबा 0.324 हैक्टर भूमि श्रीमती जमनीबाई पत्नी कालू 1/2, रतनलाल पिता [illegible] 1/2 धाकड निवासी धामंचा के नाम दर्ज रेकार्ड है व काश्तशुदा है।

2– यह कि ग्राम धामंचा के आराजी नं. 475 रकबा 16 बीघा के फर्दन फर्दन टुकडे होकर [illegible] मे 6 नये आराजी बने है जो वर्तमान मे दर्ज रिकोर्ड है उपरोक्त 475 आराजी मे से आराजी नं. 1123/475 रकबा 0.330 हैक्टर श्रीमती खेमीबाई पत्नी रामचन्द्र 1/2 देवीलाल पिता रामचन्द्र 1/2 धाकड निवासी धामंचा खातेदार के नाम दर्ज है। आहराजी नं. 1124/475 रकबा 0.159 हैक्ट भूमि श्री औंकार पिता रूपा धाकड निवासी धामंचा खातेदार क`नाम दर्ज है, आराजी नं. 1125/475 रकबा 0.159 हैक्टर भूमि श्री मोहन पिता खेमा धाकड निवासी धामंचा खातेदार के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी काश्तशुदा है व सम्बन्धित के द्वारा खेती की जा रही है।

3– यह कि आराजी नं0 475/2 रकबा 0.486 हैक्टर किस्म बंजड व आराजी नं0 475/3 रकबा 0.486 हैक्टर किस्म बंजड बिलानाम सरकार दर्ज रिकोर्ड है। रिकोर्ड अवलोकन से उक्त बिलानाम आराजीयात पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत किसी अतिक्रमी के विरूद्व पी–14 (खसरा परिवर्तनशील) की कार्यवाही विगत काफी वर्षो से दर्ज नहीं है, जिससे विगत वर्षो मे किसी का कब्जा काश्त साबित नहीं है।

उपरोक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात इस दावा पत्रावली पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई जो दावापत्र अनुसार एवं जवाबदावा अनुसार ही हमारे समक्ष निवेदन की गई है। पत्रावली में जो दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये है उनका गहन अवलोकन हमारे द्वारा करते हुए पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में साक्ष्य वादी एव गवाह की साक्ष्य कराते हुए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है उनका अवलोकन करते हुए उन पर दस्तावेजी अनुसर निर्णय किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रदर्श–1 व प्रदर्श– 2 प्रस्तुत किए है वह राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1965 की धारा 91(3) के अधीन नोटिस की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें मौजा धामंचा की आराजी संख्या 475/2 व 475/3 रकबा कुल 0.98 हैक्टर के लिए दिनांक 19.09.2002 को भुवानीसिंह पुत्र सज्जनसिंह राजपूत को दिया गया है। प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी की नकल है जो सम्वत 2015 की है जिसमें आराजी संख्या 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3,559 व 560 में जिन्स का विवरण अंकित किया हुआ है। प्रदर्श– 4 नक्शाट्रेस किश्तवार मौजा धामंचा का प्रस्तुत किया है। पत्रावली में प्रस्तुत छायाप्रति बैचाननामा आराजी का पेश किया है जो प्रदर्श–5 ए अंकित है, उक्त बैचाननामा का अवलोकन किया जाने पर पाया कि मु0 सप्यारबाई बेवा रूपसिंह राजपूत निवासी धामंचा द्वारा केता श्री भवानीसिंह पिता सज्जनसिंह राजपूत निवासी धामंचा से 2500/– रूपये प्राप्त कर इनके एवज में आराजी कीता– 24 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा भूमि लगानी 45 रूप्ये 42 पैसा का विकय किया गया है। बेची गई आराजी का विवरण में आराजी नम्बर 263/3 रकबा 8बीघा, 266/2 रकबा 5 बीघा 10बिस्वा, 384 रकबा 12बिस्वा, 385 रकबा 4बिस्वा, 386 रकबा 05बिस्वा, 387 रकबा 2बीघा 12 बिस्वा, 388 रकबा 3 बिस्वा, 389 रकबा 11बिस्वा, 396 रकबा 8बिस्वा, 404 रकबा 1बिस्वा, 405 रकबा 02बिस्वा ,406 रकबा 01बिस्वा, 416 रकबा 5बिस्वा, 407 रकबा 2बीघा 10बिस्वा, 508 रकबा 17बिस्वा, 509 रकबा 3बीघा 12, 510 रकबा 2बिस्वा, 513/2 रकबा 2बीघा 10बिस्वा, 514 रकबा 1बिस्वा, 513/1 रकबा 1बीघा 15बिस्वा, 815 रकबा 1बीघा 8बिस्वा, 518 रकबा 2बीघा 19बिस्वा, 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा भूमि का बेचान हुआ है जिसमें से आराजी नम्बर 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा भूमि को लेकर ही यह वादपत्र लाया गया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

नकल जमाबंदी मौजा धामंचा संवत 2052 से 2055 तक की पेश की है जिसमें आराजी 476/2 रकबा 0.162 हैक्टर भूमि आराजी नम्बर 1042/476 रकबा 0.162 हैक्टर भूमि श्री कालू पिता ताराचंद धाकड के नाम गैरखातेदारी से दर्ज है। इसके साथ ही आराजी नम्बर 475 रकबा 0.648 हैक्टर भूमि श्री राजसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत के नाम पर गैरखातेदार से दर्ज है यानि आराजी नम्बर मूल 476 व 475 से आवंटन होकर भूमि गैरखातेदारी से दर्ज की गई है। प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी मौजा धामंचा संवत 2052 से 55 में दर्ज आराजी संख्या 475 रकबा 0.991 हैक्टर भूमि श्री जोरावरसिंह पिता भवानीसिंह के नाम पर गैरखातेदारी से दर्ज अंकित है। प्रदर्श-8 नकल नामान्तरण संख्या 40 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरण भूमि के विक्रय से श्री मु.सम्पारबाई की जगह कुल कीता-24 कुल रकबा 46बीघा 13 बिस्वा भूमि का जो रजिस्टर्ड विक्रय हुआ था उसका अंकन किया हुआ है विक्रयपत्र प्रदर्श-5 को ऊपर हमारे द्वारा विवेचन किया जा चुका है। प्रदर्श-9 मिलानखसरा आराजी का है। इस मिलान खसरा में मय आराजी नम्बर 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा का नवीन आराजी नम्बर 475 रकबा 16बीघा बना होना अंकित है। प्रदर्श-10 नकल जमाबंदी मौजा धामंचा की है जिसमें आराजी नम्बर 475/2 रकबा 0.486 हैक्टर भूमि जो कि श्री देवीसिंह पिता भवानीसिंह राजपूत को आवंटित होकर गैरखातेदारी से दर्ज अंकित है इसके आगे ही लालस्याही से नोट अंकित किया है कि नामान्तरण संख्या 527 दिनांक 6.05.97 से आवंटन निरस्त होने से भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श-11 भू-प्रबन्ध की खतौनी है जो संवत 2028 की है जिसमें आराजी नम्बर 475 रकबा 16बीघा की भूमि सिवायचक काबिलकाश्त दर्ज अंकित है। प्रदर्श-12 नकल सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बेगूं के निर्णय दिनांक 10.01.2012 की है जिसमें सोला, खेमा, मोहन व गोडा द्वारा बनाम भवानीसिंह के विरूद्ध रास्ते एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। प्रदर्श-13 ए नकल जमाबंदी मौजा धामंचा संवत 2005 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी नम्बर 387 रकबा 16बिस्वा, आराजी नम्बर 388 रकबा 2बिस्वा आ.चाह है तथा रकबा 17बिस्वा भूमि ,आराजी नम्बर 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा कीता-3 कुल रकबा 13 बीघा है। जो खातेदार सम्पारबाई बेवा रूपसिंह कौम राजपूत सा.देह के खातेदारी में दर्ज अंकित है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा विवादित गत आराजी संख्या 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा की खातेदार सम्पारबाई है, जिन्होने इस आराजी को पंजीकृत विक्रय केता भवानीसिंह को किया है, जो प्रदर्श-5 ए है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श-6 जो नकल जमाबंदी मौजा धामंचा की सम्वत 2052 से 55 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 476/2, 1042/476 कीता-2 रकबा 0.324 हैक्टर भूमि श्री कालू पिता ताराचन्द्र धाकड के नाम पर गैरखातेदारी से दर्ज है तथा आराजी संख्या 475 रकबा 0.648 हैक्टर भूमि श्री राजसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत सा0देह के नाम पर गैरखातेदारी हक से दर्ज की हुई है। प्रदर्श-7 नकल जमाबंदी मौजा धामंचा की सम्वत 2052 से 2055 तक की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 475 रकबा 0.991 हैक्टर भूमि श्री जोरावतसिंह पिता भवानी सिंह राजपूत सा.देह के नाम पर गैरखातेदारी से दर्ज की हुई है। पत्रावली मे प्रस्तुत प्रदर्श-8 जो कि नकल नामान्तरण संख्या 40 पेश की है। यह नामान्तरण श्री मु.सम्पारबाई द्वारा भूमि का विक्रय श्री भवानीसिंह को किये जाने पर खोला गया है जिसमें मु. सम्पारबाई द्वारा उनके खाते की कृषि आराजी मौजा धामंचा की आराजी नम्बर 263/3 रकबा 8बीघा, 266/2 रकबा 5 बीघा 10बिस्वा, 384 रकबा 12बिस्वा, 385 रकबा 4बिस्वा, 386 रकबा 05बिस्वा, 387 रकबा 2बीघा 12 बिस्वा, 388 रकबा 3 बिस्वा, 389 रकबा 11बिस्वा, 396 रकबा 8बिस्वा, 404 रकबा 1बिस्वा, 405 रकबा 02बिस्वा ,406 रकबा 01बिस्वा, 416 रकबा 5बिस्वा, 407 रकबा 2बीघा 10बिस्वा, 508 रकबा 17बिस्वा, 509 रकबा 3बीघा 12, 510 रकबा 2बिस्वा, 513/2 रकबा 2बीघा 10बिस्वा, 514 रकबा 1बिस्वा, 513/1 रकबा 1बीघा 15बिस्वा, 815 रकबा 1बीघा 8बिस्वा, 518 रकबा 2बीघा 19बिस्वा, 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा भूमि का बेचान का अंकन किया हुआ है। प्रदर्श-9 नकल खसरा गिरदावरी की पेश की है। प्रदर्श-10 नकल जमाबंदी मौजा धामंचा सम्वत 2052 से 55 है जिसमें श्री भवानीसिंह राजपूत के नाम पर आराजी संख्या 430, 349, 366, 471, 473, 478, 479, 472, 474, 753 कीता-10 रकबा 5.334 हैक्टर भूमि अंकित की हुई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

जमाबंदी मौजा धामंचा सम्वत 2028 जो कि प्रदर्श–11 है मे दर्ज सिवायचक काबिल काश्त आराजी संख्या 470, 475, 476, 511, 513, 515, 522, 534, 540, 557, 565, 566, 567, 568, 569, 574, 645, 646 का अंकन किया हुआ है। इस पत्रावली में प्रदर्श–12 जोकि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बेगूँ के निर्णय की प्रति है उक्त निर्णय प्रकरण संख्या 12/2001 व अनवान सोला पुत्र खेमा वगै बनाम भवानीसिंह पुत्र सज्जनसिंह वगै0 के विरूद्ध वादपत्र घोषणा रास्ता एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.01.2012 से "अतः वादीगण सोला पुत्र खेमा वगैरा की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा रास्ता एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण भवानीसिंह वगै एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।" पत्रावली में उपरोक्त सभी प्रदर्श दस्तावेज का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया। मामला इस प्रकार से है कि वादी भवानीसिंह द्वारा मु. सम्पयारबाई से मौजा धामंचा की आराजी नम्बर 263/3 रकबा 8बीघा, 266/2 रकबा 5 बीघा 10बिस्वा, 384 रकबा 12बिस्वा, 385 रकबा 4बिस्वा, 386 रकबा 05बिस्वा, 387 रकबा 2बीघा 12 बिस्वा, 388 रकबा 3 बिस्वा, 389 रकबा 11बिस्वा, 396 रकबा 8बिस्वा, 404 रकबा 1बिस्वा, 405 रकबा 02बिस्वा ,406 रकबा 01बिस्वा, 416 रकबा 5बिस्वा, 407 रकबा 2बीघा 10बिस्वा, 508 रकबा 17बिस्वा, 509 रकबा 3बीघा 12, 510 रकबा 2बिस्वा, 513/2 रकबा 2बीघा 10बिस्वा, 514 रकबा 1बिस्वा, 513/1 रकबा 1बीघा 15बिस्वा, 815 रकबा 1बीघा 8बिस्वा, 518 रकबा 2बीघा 19बिस्वा, 558/2 रकबा 12बीघा 3बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया गया जिसका विधिवत नामान्तरण संख्या 40 भी खोला गया है जिसमें सभी क्रयशुदा भूमि का बेचान से अंकन किया जाने का उल्लेख किया है। तो प्रश्नगत विवादित आराजी संख्या 558/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज क्यो नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट अंकन वादी अपने वादपत्र मे नहीं किया है कि उक्त आराजी को बिलानाम क्यो दर्ज किया गया है। संभवतया वादी का कब्जा ही उक्त आराजी संख्या 558/2 की भूमि पर नहीं होने से भूमि बिलानाम दर्ज की गई हो? वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से मु. सम्यारबाई से भूमि दिनांक 21.05.1970 को क्रय की गई थी, जबकि वादी द्वारा उक्त आराजी की घोषणा हेतु इस न्यायालय मे वाद पत्र वर्ष 1997 यानि भूमि क्रय के 20 वर्ष पश्चात दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी को यह जानकारी ही नहीं थी कि मुझ वादी की क्रयशुदा भूमि में से आराजी संख्या 558/2 की भूमि मेरे कब्जे व खाते में अंकित नहीं है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन अंकित किया है कि गत आराजी संख्या 558/2 के नवीन आराजी संख्या 475 की प्रवृष्टी राजस्व कर्मचारियों की गलती से नहीं हुई साथ ही उस समय भू–प्रबन्ध की प्रकिया चल रही थी इसलिए भू–प्रबन्ध अधिकारी कर्मचारियो ने इस नवीन आराजी संख्या 475 को बिलानाम दर्ज कर दिया। यहॉ प्रश्न यह उठता है कि जब आप द्वारा भूमि क्रय की गई थी तथा उक्त भूमि का नामान्तरण भी हुआ तो वादी को अपने खाते की नकल में यह देखा जाना चाहिए था कि मुझ क्रेता द्वारा जो भूमि क्रय की गई वह मेरे खाते में खोले गये नामान्तरण संख्या 40 के मुकाबले अंकित हुई या नही हुई या मेरे द्वारा क्रयशुदा सभी भूमि पर कब्जा है या नहीं है। ऐसी जानकारी वादी द्वारा नहीं की गई ना ही वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था क्यो कि वादी द्वारा कुल रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा भूमि क्रय की गई थी। वादी ने अपने वादपत्र में कथन अंकित किया है कि भूमि क्रय दिनांक 21.05.70 से आराजी संख्या 558/2 जिसके नवीन नम्बर 475 रकबा 16 बीघा बने थे उस पर क्रय दिनांक से ही कब्जा चला आ रहा है। वादी का यह कथन अपने आप में ही असत्य सिद्ध हो जाता है क्यो कि वादी ही यह लिखते है कि प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ने जबरन अपने नाम भूमि बिलानाम होने से आवंटन करवाली, हमारे विनम्र राय से किसी भी बिलानाम भूमि पर आवंटिन की प्रकिया में भूमि सिवाचयक बिलानाम होकर खाली भूमि का ही आवंटन भूमिहीन काश्तकारो किया जाने का प्रावधान हे, जिस भूमि का आवंटन किया जाता है उसके सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से ली जाकर मामला आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तदोपरान्त ही भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया जाता है। यदि भूमि पर कब्जा काश्त वादी को होता तो निश्चित ही भूमि आवंटित नहीं होती।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

कता यह है कि जब भूमि सेटलमेन्ट द्वारा नवनी आराजी संख्या 475 अंकित करते हुए नाम की गई इस बात जानकारी जब वादी एवं उनके परिवार को हुई तब उन्होने व उनके रिवार वालो ने भूमि पर जबरन कब्जा यानि अतिक्रमण किया जिसमें से उनक पुत्र जोरावरसिंह को 4 बीघा भूमि का आवंटन हुआ यानि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त भूमि बिलानाम होने के पश्चात वादी व उनके परिवार द्वारा किया गया जिसमें कुल भूमि अन्य खातेदारान द्वारा अपने रास्ते के उपयोग हेतु अंकित की गई है। यहाँ यह उल्लेख करना हम उचित समझते है कि उक्त भूमि पर किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है। भूमिधारी द्वारा अपने जवाब दावे में भी अंकित किया है कि भू-प्रबंध के समय कोई गलती नहीं है वादी का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा है तथा नवनी आराजी सख्या 475 मे राजसिंह पिता गोपालसिंह जोरावरसिंह पिता उदयसिंह व देवीसिंह का आवंटन हुआ था वह भी निरस्त हुआ है।

साथ ही तहसीलदार बेगूँ द्वारा धारा 251 राज0टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उनकी कृषि आराजी संख्या 570 पर जाने हेतु इस भूमि में से रास्ता भी कायम किया गया था, जिसकी अपील भी वादी द्वारा की गई थी जो खारिज हुई है। इस दावा पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 98 दिनांक 05.09.2024 को विवादित आराजी के मौके की रिपोर्ट भिजवाई गई है, जिसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, तहसीलदार बेगूँ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम धामंचा की आराजी संख्या 475 रकबा 16 बीघा एवं आराजी संख्या 1042/476 व 476/3 भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति मय राजस्व रिकोर्ड के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उक्त आराजी की जॉच भू-अभिलेख निरीक्षक चेची से करवाई गई मौके की स्थिति व राजस्व रिकोर्ड की स्थिति अनुसार ग्राम धामंचा के आराजी संख्या 1042/476 रकबा 0.162 हैक्टर एवं 476/3 रकबा 0.162 हैक्टर किता-2 कुल रकबा 0.324 हैक्टर भूमि श्रीमती जमनीबाई पत्नी कालू 1/2, रतनलाल पिता कालू 1/2 धाकड निवासी धामंचा के नाम दर्ज रिकोर्ड है व काश्तशुदा है।

ग्राम धामंचा के आराजी नं. 475 रकबा 16 बीघा फर्दन फर्दन टुकडे होकर वर्तमान में 6 नये आराजी बने है जो वर्तमान में दर्ज रिकोर्ड है उपरोक्त 475 आराजी मे से आराजी नं. 1123/475 रकबा 0.330 हैक्टर श्रीमती खेमीबाई पत्नी रामचन्द्र 1/2 देवीलाल पिता रामचन्द्र 1/2 धाकड निवासी धामंचा खातेदार के नाम दर्ज है, आराजी नं. 1124/475 रकबा 0.159 हैक्टर भूमि ऑकार पिता रूपा धाकड निवासी धामंचा खातेदार के नाम दर्ज है, आराजी नं. 1125/475 रकबा 0.159 हैक्टर श्री मोहन पिता खेमा धाकड निवासी धामंचा खातेदार के नाम दर्ज है आराजी संख्या 475 रकबा 0.971 हैक्टर श्री जोरावरसिंह पिता भवानीसिंह राजपूत निवासी धामंचा गैरखातेदार के नाम दर्ज उपरोक्त आराजी काश्तशुदा है व सम्बन्धित द्वारा खेती की जा रही है। आराजी संख्या 475/2 रकबा 0.486 हैक्टर किस्म बंजड व आराजी नं. 475/3 रकबा 0.486हैक्टर किस्म बंजड बिलानाम सरकार दर्ज रिकोर्ड है। रिकोर्ड अवलोकन से उक्त बिलानाम आराजीयात पर राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत किसी अतिक्रिमी के विरूद्ध पी-14 (खसरा परिवर्तनशील) की कार्यवाही विगत काफी वर्षो से दर्ज नहीं है जिससे विगत वर्षो मे किसी कब्जा काश्त साबित नहीं हैं

उपरोक्त मौका रिपोर्ट भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आराजी संख्या 475 की अलग अलग स्थिती होकर अन्य खातेदार व गैरखातेदारान के नाम पर दर्ज है तथा जो शेष आराजी संख्या 475/2 रकबा 0.486 हैक्टर किस्म बंजड व आराजी नं. 475/3 रकबा 0.486हैक्टर किस्म बंजड बिलानाम सरकार दर्ज रिकोर्ड है। रिकोर्ड अवलोकन से उक्त बिलानाम आराजीयात पर राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत किसी अतिक्रिमी के विरूद्ध पी-14 (खसरा परिवर्तनशील) की कार्यवाही विगत काफी वर्षो से दर्ज नहीं है, जबकि वादी उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन अपने वादपत्र में अंकित करते है जो अपने आप ही असत्य कथन है। साथ ही बिलानाम भूमि पर यदि किसी अतिक्रमी का कब्जा होकर काश्त भी हो तो भी बिलानाम भूमि को अतिक्रमी के पक्ष में घोषित किया जाना कानून विरूद्ध होता है क्यो कि इस प्रकार अतिक्रमी को भूमि दिये जाने से आमजन में अतिक्रमण की करने की भावना विकसित होती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौजा धामंचा की गत आराजी संख्या 558/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि पुरानी जिसके नवीन आराजी संख्या 475 में प्रविष्टि हुई है वह भू-प्रबन्ध के समय से बिलानाम दर्ज कर दी गई वह सही दर्ज की गई, वादी उक्त बिलानाम भूमि को अपने खाते दर्ज करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नं0 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नं0 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है। वादी का कथन है कि मौजा धामंचा की पुरानी आराजी संख्या 558/2 जिसके नवीन आराजी नम्बर 475 रकबा 16 बीघा भूमि पर आज ही क्रय के दिनांक से कब्जा चला आ रहा हैं। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में स्पष्ट किया गया है कि वादी का क्रयशुदा भूमि गत आराजी संख्या 558/2 पर क्रय करने से ही कब्जा काश्त नहीं था तभी तो वह भूमि बिलानाम की गई थी तथा उस बिलानाम भूमि से ही अन्य व्यक्तियों को आवंटित भी हुई थी। हॉ यह कथन सही है कि वादी ने उक्त भूमि को क्रय किया था तथा उसका नामान्तनरण भी वादी के पक्ष में खुला था किन्तु केवल नामान्तरण खुल जाने से ही वादी को कब्जेदार नहीं माना जा सकता है। वादी ने जो भूमियां मु0 सम्पयारबाई से क्रय की थी उनका रकबा काफी बडा था जिससे उनको यह ध्यान नही नहीं था उनका कब्जा काश्त किन किन आराजी पर है। इस प्रकार नवीन आराजी संख्या 475 जो कि बिलानाम भूमि होकर उसमें से भूमि का आवंटन किया गया, जैसा कि तनकी नं0 1 में हमने उल्लेख किया है कि आवंटन प्रक्रिया में भूमि का बिलानाम काबिलकाश्त होना होता है, तथा भूमिहीन काश्तकारान को भूमि का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार वादी का कथन अपने आप में ही गलत साबिज होता है कि उनका विवादित आराजी संख्या 558/2 जिसके नवीन आराजी नं0 475 बने थे पर वक्त क्रय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 2 भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3– <u>तनकी नं0 3 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण को वादी संख्या 1 की आराजी संख्या 475 व वादी सं0 2 की आराजी नं0 1042/476 व 476/3 मे किसी प्रकार से हस्ताक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यह कथन अपने में ही गलत है क्यो कि नवीन आराजी संख्या 475 पर वादी का कोई कब्जा ही नहीं है जैसा कि मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है क्योकि ग्राम धामंचा के आराजी संख्या 1042/476 रकबा 0.162 हैक्टर एवं 476/3 रकबा 0.162 हैक्टर किता–2 कुल रकबा 0.324 हैक्टर भूमि श्रीमती जमनीबाई पत्नी कालू 1/2, रतनलाल पिता कालू 1/2 धाकड निवासी धामंचा के नाम दर्ज रिकोर्ड है व काश्तशुदा है। इस प्रकार यह तनकी नं0 3 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती हैं।

4– <u>तनकी नं0 4 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं0 1 का है। प्रस्तुत वाद पत्र राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया गया है, क्यो कि आराजी संख्या 475 बिलानाम भूमि थी, वादी ने इस दावा पत्र में प्रथम पक्षकार तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ को बनाया है जो कि राज्य सरकार प्रतिनिधी जिला कलक्टर के अधिनस्थ पैरोकार है, जवकि राज्य सरकार के विरूद्ध कोई भी वाद पत्र को प्रस्तुत किया जाने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि श्री जिला कलक्टर को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया है। हालॉकि यह दावा वर्ष 1998 मे पेश किया है जबकि राज्य सरकार के नियमो अनुसार सरकार के विरूद्ध मामले तहसीलदार को ही पक्षकार बनाये जाकर प्रस्तुत किये जाते थे लेकिन माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा उनके परिपत्र में यह अनिवार्य किया गया कि कोई भी दावा जो राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाता है उसमें प्रथम पक्षकार श्रीमान जिला कलैक्टर को जो कि प्रतिनिधि सरकार होतें है को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होगां। इस प्रकार यह तनकी नं0 3 आंशिक रूप से प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

की नं0 5 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1,4,5,6 व 7 का था, प्रतिवादी का कथन है कि वाद वर्णित पुराना आराजी नम्बर 558/2 भूमि मु. सम्यारबाई के स्वामित्व की नहीं होकर मु. भूरबाई दासी श्री गोपालसिंह के स्वामित्व की होने से मु. सम्पयारबाई को वादी के पक्ष में विक्रय करने का अधिकार नहीं था? इस दावा में तनकी नं0 1 में किये गये निर्णय से सभी दस्तावेज को अंकन हमारे द्वारा करते हुए निर्णय किया गया है, जैसा कि पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी व विक्रयपत्र एवं खोले गये नामान्तरण संख्या 40 से स्पष्ट होता है कि गत आराजी संख्या 558/2 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि भूमि के खातेदार मु. सम्यारबाई थी जिन्होने उक्त आराजी को विक्रय किये जाने का अधिकार था, क्यो कि भूमि उनके खातेदारी की थी साथ ही इस भूमि का पंजीकृत विक्रय भी उनके द्वारा किया गया, एवं विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तरण संख्या 40 भी खोला गया था, लेकिन यहॉ यह उल्लेख किया जाना अनिवार्य है कि इस गत आराजी संख्या 558/2 पर मु. सम्यारबाई का कही भी कब्जा काश्त ही नहीं था ना ही उनसे जो भूमि कय वादी ने की उनका ही कब्जा था। इस भूमि पर कब्जा काश्त अन्य का रहा हो किन्तु भूमि खातेदारी में होने से उन्हें इस भूमि को विकय का अधिकार तो था। किन्तु भूमि पर कब्जा नहीं होने से वक्त सेटलमेन्ट भूमि बिलानाम दर्ज हुई हैं। इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6– तनकी नं0 6 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण का कथन है वादी द्वारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था जो उन्होने नहीं किया है, यह तथ्य सही है कि कोई भी वादी यदि राज्य सरकार के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करता है तो उन्हें नियत अवधि में धारा 80 व्य.प्र.संहिता के तहत नोटिस सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रतिनिधि को दिया जाना अनिवार्य है किन्तु वादपत्र के प्रकृति व उसकी अनिवार्यता को ध्यानमें रखते हुए यदि नोटिस वादी द्वारा नहीं दिया जाता है तथा अपने वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा.दी. का प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसे स्वीकृत किया जाने पर वादपत्र दर्ज किया जाता है, यहॉ भी वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 80(2) को पेश किया गया है तथा वादी का वादपत्र दर्ज किया गया हैं। यदि वादी द्वारा दफा 80 जा.दी. के अभाव में वादपत्र प्रस्तुत किया जाता तो खारिज होता किन्तु यहॉ प्रार्थना पत्र 80(2) प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार यह तनकी सं. 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

7– तनकी नं.0 7 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 व 3 से दूरभिसंधि कर वादप्रस्तुत किया हैं। पत्रावली में जैसा कि तनकी नं. 1 के निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह वाद वर्णित भूमि मौजा धामंचा की आराजी संख्या 558/2 जिसके नवीन आराजी संख्या 475 होकर उक्त भूमि विलानाम हुई थी तथा उसमें से भूमि का आवंटन भी प्रतिवादी सं. 2 व प्रतिवादी संख्या 3 को की गई थी जैसा कि स्पष्ट है कि प्रतिवादीसं. 2 वादी के परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी सं. 3 जोरावर वादी के पुत्र ही है, चूकि ये आवंटी थे, इसलिए वादी ने इन्हें पक्षकार बनाते हुए यह दावा प्रस्तुत किया है जबकि अपने जवाबदावे में भी वादी के पक्ष में जवाब प्रस्तुत किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रतिवादी सं. 2 व 3 को पक्षकार बनाते हुए दुरभिसंधी से प्रस्तुत किया हैं। इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

8– तनकी नं0 8 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। पत्रावली में किये गये निर्णय तनकी नं. 1 से सामने आया है कि गत आराजी संख्या 558/2 जिसके नवीन आराजी संख्या 475 बने थे उसमें से प्रतिवादीगण द्वारा अपने खातेदारी की भूमि पर पहूँच हेतु तहसीलदार बेगूँ के यहॉ 251 आर.टी.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार बेगूँ द्वारा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

करते हुए प्रतिवादीगण को उनके खाते की कृषि आराजी पर पहुँच हेतु रास्ता कायम किये का आदेश दिया जाकर उक्त रास्ते का अंकन नक्शाट्रेस में किया गया था, तहसीलदार के द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील भी वादी द्वारा की गई थी जो खारिज हुई थी। इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण उनके लिए कायम किये गये रास्ते की भूमि पर आने जाने से रोकने का अधिकार नहीं है। यह तनकी पक्ष प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

9– <u>तनकी नं0 9 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का अधिकार भी प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगणका कथन है कि वादपत्र राजस्व न्यायालय में विचारण का नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र. सं. में खारिज होने योग्य है। यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में मुख्य बिन्दुओं की पालना वादपत्र में नहीं किये जाने पर ही दावा खारिज किया जाने योग्य होता है, जबकि यह दावा राजस्व भूमि की घोषणा को लेकर है जिसे सुनने का अधिकार इस राजस्व न्यायालय को ही होता है, जहाँ तक प्रतिवादीगण के रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में सुने जाने का प्रश्न है यह तथ्य सही है कि रास्ते सम्बन्धी प्रकरण को सिविल न्यायालय द्वारा ही सुना जावेगा किन्तु हमारी विनम्र राय से इस वादपत्र में सम्पूर्ण भूमि रास्ते की भूमि नहीं होकर कृषि उपयोग की भूमि भी है जिसे सुने जाने का अधिकार इस न्यायालय को ही प्राप्त है।इसलिए इस वादपत्र पर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. लागू नहीं होने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकीयात वादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है। जिससे वादी का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद पत्र संख्या :– 54 / 1997

1– भवानीसिंह पुत्र सज्जन सिंह जी राजपूत निवासी धामंचा मृतक
1/1– देबीसिंह पुत्र भवानीसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
1/2– उदयसिंह पुत्र भवानीसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
1/3– जोरावरसिंह उर्फ छोटूसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत नि0धामंचा तह0बेगूं
पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 नियत है।
2– कालू पुत्र ताराचन्द जी धाकड निवारी धामंचा मृतक
2/1– जमनीबाई बेवा कालू जी धाकड निवारी धामंचा तह0 बेगूं (आदेश दि.6.3.24 से नाम हटाया)
2/2– रतनलाल पुत्र कालू जी धाकड निवारी धामंचा तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1– तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूं
2– राजसिंह पुत्र गोपाल सिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं मृतक
(पहले एकतरफा कार्यवाही)
2/1– मिठुसिंह पुत्र राजसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
2/2– नन्दकंवर बेवा राजसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
2/3– प्रेमकंवर पुत्री राजसिंह जी राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
2/4– मोहनकंवर पुत्री राजसिंह राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
2/5– फेफाकंवर पुत्री राजसिंह राजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं
3– जोरावरसिंह पुत्र भवानीसिंह जीराजपूत निवासी धामंचा तह0 बेगूं

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.12.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं